[2022] 5 एस.सी.आर.692

अखिल भारतीय न्यायिक संघ और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(आई.ए. संख्या. 89454 / 2021)

में

(रिट याचिका (सी) संख्या 1022 /1989)

19 अप्रैल, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर गवई, और

अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

न्यायपालिका - दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा - नियुक्ति - 21 मार्च 2002 को सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेश में यह ठहराया गया था कि उच्च न्यायिक सेवा में 75% नियुक्तियों को पदोन्नति द्वारा और 25% को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा बनाए रखना है। पदोन्नति के लिए नियुक्ति में दो तरीके अपनाए जाने चाहिए, कुल पदों का 50% योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए और शेष 24% को परीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से योग्यता पर भरा जाना चाहिए जिसके लिए सिविल जज (वरिष्ठ विभाग) के रूप में सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 20 अप्रैल 2010 को सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेश में यह ठहराया गया था कि 25% पद के लिए एलडीसीई के उम्मीदवार ढूंढने में कठिनाई है, इसलिए इसे 10% तक घटाना है। अंतरिम आवेदन (आई.ए) दिल्ली न्यायिक सेवाओं के दो न्यायिक अधिकारियों द्वारा 21.03.2002 और 20.04.2010 को सर्वोच्च अदालत द्वारा पारित आदेशों के संशोधन के लिए और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) में पदोन्नति के लिए एलडीसीई में भाग लेने की अनुमति मांगते हुए दाखिल किए गए थे- दिल्ली की उच्च न्यायालय द्वारा एक और आई.ए. दाखिल किया गया था, जिसमें डीएचजेएस के लिए 25% कोटा की एलडीसीई के तहत पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा को 10 वर्ष से 7 वर्ष में घटाने का प्रस्ताव था। - निष्कर्ष: एलडीसीई के माध्यम से पदोन्नति की प्रवृति प्रदान करने का उद्देश्य अधिकारियों को प्रेरित करना था ताकि वे अन्य से प्रतिस्पर्धा करें, उत्कृष्टता प्राप्त करें और तेजी से पदोन्नति पाएं। - सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा की जाने वाली कार्य की प्रकृति समान है। - वेतनमान में अंतर के अलावा, कहे गए न्यायिक द्वारा शक्तियों और

कर्तव्यों के संबंध में कोई अंतर नहीं है- इसलिए, जिला न्यायाधीशों की कैदर की 10% स्थान उन प्रत्याशियों से एलडीसीई द्वारा भरी जाए, जिनके पास 7 वर्षों की योग्यता सेवा है [(5 वर्ष सिविल जज (जू. डिवीजन) के रूप में और 2 वर्ष सिविल जज (स्र. डिवीजन) के रूप में या 10 वर्ष सिविल जज (जू. डिवीजन) के रूप में)] एलडीसीई के माध्यम से योग्यता पर पदोन्नति के संबंध में।

सिविल अपीलीय अधिकारिक क्षेत्र: आई.ए. सं. 89454 / 2021 में रिट याचिका (सी) सं. 1022 /1989

(भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत)

साथ में

आई.ए. सं. 89450 और 88976 / 2021, आई.ए. सं. 249/ 2009, आई.ए. सं. 44132 /2022 में आई.ए. सं. 89450 /2021 के अंतर्गत रिट याचिका (सी) सं.1022 /1989.

के. एम. नटराज, एएसजी, विकास महाजन, तपेश कुमार सिंह, एएजीज़, सिद्धार्थ भटनागर, (अमिकस क्यूरिए), वसीम कादरी, ए. डी. एन. राव, पी. एन. रवींद्रन, जयदीप गुप्ता, डॉ. मनीष सिंघवी, पी. एस. पटवालिया, स्र. एडवो. अंकित यादव, मिस अंकित यादव, अदित्या सिधर, नदीम अफरोज, टी. ए. ख़ान, नलिन कोहली, बी. के. सतीजा, शरथ नाम्बियार, मिस नीला केदार गोखले, राज बहादुर यादव, मिस कविता झा, अदितेय बाली, सचिन पाटिल, राहुल चितनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, मिस श्वेतल शेपल, अखिलेश कुमार पांडे, मिसेज अमिता गुप्ता, राकेश दहिया, ए. वेणायगम बालन, अभिजीत सेंगुप्ता, प्रवीर कुमार जैन, मिस ए. सुभाषिनी, एम. शोएब आलम, शिबाशिष मिश्रा, करण भरीहोक, अजय कुमार, एम. ए. चिन्नसामी, सतीश कुमार, टी. वी. रत्नम, अपूर्व कुरुप, मोहित प्रसाद, मिस निधि मित्तल, ओजस्वा पाठक, सिबो संकर मिश्र, मिस जी. इंदिरा, आनंद कन्नन एन., गोपाल झा, निशांत वर्मा, श्रेयश भारद्वाज, मिस ममता श्रीवास्तव, मिस हेमंतिका वाही, कृष्णानंद पांडेय, संजय शरावत, अनिल नाग, रोमी चाको, आर. एन. केसवानी, मिस आशा गोपालन नायर, गुंतूर प्रभाकर, मिसेज डी. भारती रेड्डी, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, उदय बी. दुबे, कौस्तुभ दुबे, प्रवीर चौधरी, वी. के. सिद्धार्थन, राज कुमार मेहता, अनिल श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, राकेश के. शर्मा, अभिष्ट कुमार, मिसेज वी. डी. खन्ना, संजय जैन, प्रदीप मिश्रा, प्रशांत कुमार, जी. प्रकाश, अशोक कुमार सिंह, मिस प्राग्या सिंह, मिस अक्षय सिंह, शांत्वनु सिंह, पी. वी. दिनेश, टी. जी. नारायणन नायर, मिस प्रिया बालकृष्णन, रतन कुमार चौधुरी, पी. पार्मेस्वरन, राधा श्याम जेना, गोपाल बल्वंत साठे, मिसेज रेवती राघवन, पी. वी. योगेश्वरन, टी. एल. गार्ग, वी. एन. राघुपति,

पी. के. जैन, मिसेज अंजनी अय्यागारी, सुनील फर्नांडिज, मिसेज बीना गुप्ता, जितेंद्र मोहन शर्मा, टी. महिपाल, श्रीश कुमार मिश्र, कमल मोहन गुप्ता,परिजात सिन्हा, किशन दत्ता, मिसेज ए. सुमति, बी. डी. शर्मा, हरेश रायचुरा, समीर पारेख, क्षत्रशाल राज, मिसेज तन्या चौधरी, मिसेज प्रत्युषा प्रियदर्शिनी, मिसेज नितिका पांडेय, मेसर्स पारेख एंड को., एस. आर. सेटिया, मिसेज मीरा माथुर, नरेश के. शर्मा, मिसेज एन. अन्नापूरणी, मनीष के. बिष्णोई, बी. वी. बालराम दास, अजित पुदुसेरी, मिसेज एस. जाननी, कन्हैया प्रियदर्शी, एस. के. भट्टाचार्य, प्रवीन स्वरूप, मिसेज पायल स्वरूप, सैयद जाफर हुसैन, मेसर्स गगरत एंड को., मुकेश के. गिरी, टी. वी. जॉर्ज, अशोक माथुर, रंजन मुखर्जी, राजेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार जैन, मिसेज रशिका स्वरूप, मिसेज कुमुद लता दास, एम. वीरप्पा, चंद्र शेखर अश्री, अलोक कुमार, मिसिज अनिल कत्यार, के. आर. सासीप्रभु, डॉ. सुशील बलवडा, सूर्य कांत, राजीव मेहता, के. राम कुमार, डॉ. जे. पी. धंदा, टी. हरीश कुमार, अरुण के. सिन्हा, मेसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, आर. साथिश, पी. आई. जोस, प्रशांत के. शर्मा, जेनिस फ्रांसिस, अनुपम मिश्रा, संजय कुमार त्यागी, अभिनव मुकर्जी, मिस बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव, मिस प्रतिष्ठा विज, संजय कुमार पाठक, श्रीमती शशि पाठक, कुणाल चटर्जी, मिस मैत्रयी बनर्जी, रोहित बंसल, अमृश कुमार, मिस दीपान्विता प्रियंका, मिस अस्वति एम. के., अर्पित प्रकाश, डी. के. देवेश, सुमीर सोधी, मिस श्रेया नायर, पी. मोहित राव, एस. उदय कुमार सागर, टी. एन. रामा राव, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, टी. एल. वी. रामचरी, अजय बंसल, गौरव यादव, कुलदीप सिंह, मिस वीना बंसल, सुहान मुकर्जी, आदित्य प्रकाश, निखिल परिक्षित, विशाल प्रसाद, अभिषेक मंचंदा, सयंदीप पहाड़ी, तन्मय सिन्हा, मेसर्स पीएलआर चैम्बर्स एंड को., पुखमबम रामेश कुमार, मिस अनुपमा न्गंगोम, करुण शर्मा, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, मिस विपाशा सिंह, अजय कनोजिया, बिश्वेन्द्र सिंह, अशुतोष दुबे, विवेक महाजन, विदित आनंद, विनोद शर्मा, सुरिंदर सिंह मानक, परिजात सोम, अरुण सिंह, सालिक राम, निशे राजेन शोंकर, मिस अनु के. जॉय, अलीम अंवर, सतीश पांडेय, जी. एन. रेड्डी, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, अविजित मनी त्रिपाठी, टी. के. नायक, पी. एस. नेगी, डेनियल लिंगडोह, ब्रज किशोर मिश्रा, राघवेंद्र कुमार, आनंद कुमार दुबे, निशांत वर्मा, राजीव कुमार सिन्हा, मिस सिमंता कुमार, सुनील सराओगी, संदीप कुमार सेन, नरेंद्र कुमार, सिद्धेश कोतवाल, मिस अना उपाध्याय, मिस मन्या हसिजा, आकाश सिंह, निर्णिमेष दुबे, शुवोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, ईशान बोर्ठाकुर, मिस तरुणा अर्धेंदुमौली प्रसाद, कुमार अनुराग सिंह, आनंदो मुखर्जी सेन, श्वेतंक सिंह, बीनू शर्मा, सोम राज चौधरी, मिस श्रुती आराधना, मिस मृणाल एल्कर मजुमदार, मिस इंदिरा भाकर, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., मिस नुपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महरा, मिस आस्था शर्मा, चिराग एम. श्रॉफ, अमनदीप मेहता, अंकित मिश्रा, सन्नी चौधरी, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, रवि चंद्र प्रकाश, साहिल टगोत्रा, एस. पी. मुखर्जी, राकेश तालुकदार, आदर्श उपाध्याय, चंचल कुमार गांगुली, मिस रंजीता रोहतगी, सुकांत विक्रम, आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य नारायण दास, मिस प्रीतिका द्विवेदी, पी. एस. सुधीर, मलक मनीष भट्ट,

मिस के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, मिस चुबालेमला चांग, अरविंध एस., अवनीश अर्पुत्हम, मिसेज अर्पुत्हम अरुणा एंड को., सिद्धार्थ संगल, मिस वैदेही कोठारी, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, मिस सगुन श्रीवास्तव, संदीप सुधाकर देशमुख, प्रकट हो रही पक्षों के वकील।

अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था।

बी. आर. गवाई, न्यायमूर्ति.

1. अंतरिम आवेदन (आई.ए) संख्या 89454 / 2021 इस याचिका में इस अदालत द्वारा 21मार्च 2002 [1] और 20अप्रैल 2010[2] को पास किए गए आदेशों की संशोधन के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा (जिसे आगे "डी.जे.एस." के रूप में संदर्भित किया गया है) के कैडर में दो न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर किया गया है जिनका नाम मिस शीतल चौधरी प्रधान और डॉ. शिरीष अग्रवाल है। अंतरिम आवेदन (आई.ए.) संख्या 89450 / 2021 वही न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर किया गया है जो दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (जिसे आगे "डी.एच.जे.एस." के रूप में संदर्भित किया गया है) में पदोन्नति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्र संख्या 38- 41/परीक्षा.कक्ष/डी.एच.जे.एस.सी.एल परीक्षा/2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 के माध्यम से प्रारंभ की गई सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा (जिसे आगे "एल.डी.सी.ई." के रूप में संदर्भित किया गया है) में भाग लेने की अनुमति की प्रार्थना है।(जिसे आगे "डी.एच.जे.एस." के रूप में संदर्भित किया जाता है) ज़िला न्यायाधीश कैडर और न्यायिक अधिकारियों-आवेदकों के प्रत्याशिता का समर्थन मेरिट पर करने के लिए, संशोधन के आवेदन के परिणाम के अधीन। आई.ए. संख्या 44132 / 2022 में आई.ए. संख्या 89450/ 2021 से उसी न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर किया गया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय को डी.एच.जे.एस. की एल.डी.सी.ई. कोटा से रोस्टर के तहत नियम 7(2) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 (जिसे आगे "कहे गए नियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है) से दो सीटें पहचानने और उन्हें न्यायिक अधिकारियों-आवेदकों के लिए आरक्षित करने की प्रार्थना के लिए निर्देशित देने के लिए किया गया है। आई.ए. संख्या 88976 का 2021 भी उसी न्यायिक अधिकारियों द्वारा इस वर्तमान याचिका में सह-याचिकाकर्ताओं के रूप में उनकी संलग्नता के लिए दायर किया गया है।

2 . अंतरिम आवेदन (आई.ए) संख्या 249 / 2009 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि डी.एच.जे.एस. की पदोन्नति के लिए एल.डी.सी.ई. की 25% कोटा के तहत न्यूनतम योग्यता सेवा को 10 वर्षों से 7 वर्षों में घटाया जा

3. हमने श्री पी.एस. पटवालिया, सीनियर वकील को सुना, जो न्यायिक अधिकारी-आवेदकों की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, श्री ए.डी.एन. राव, सीनियर वकील को सुना, जो दिल्ली के

उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित हो रहे हैं और श्री सिद्धार्थ भटनागर, सीनियर वकील को सुना, जो अमीकस क्यूरिए के रूप में उपस्थित हो रहे हैं।

4 . वर्तमान रिट याचिका पूरे देश में अधीनस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों की कार्य स्थितियों से संबंधित है। इस अदालत ने समय-समय पर विभिन्न निर्देशित -निर्देश जारी किए हैं। इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशित -निर्देशों के अनुसार, तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार ने 21मार्च 1996 को प्रस्तावित संकल्प के अंतर्गत श्रीमान न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी की अध्यक्षता में पहली राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (जिसे "शेट्टी आयोग" भी कहा जाता है) का गठन किया। शेट्टी आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद 11 नवंबर 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। शेट्टी आयोग की सिफारिशों को वर्तमान रिट याचिका में 21 मार्च 2002 को इस अदालत द्वारा पारित आदेश में विचार किया गया। इसे उपयुक्त समझा जाएगा कि इस आदेश में पैरा (27) में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है:

> "27 एक और प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह है उच्चतम न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कादर में पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्रोत हैं, पहला, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा और दूसरा, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा। अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की इमारत की नींव है।इसलिए, यह अनिवार्य है, जैसा कि किसी भी अन्य नींव के साथ होता है, कि यह जितना संभव हो सके मजबूत बने। न्यायिक प्रणाली पर मुख्यत: अधीनस्थ न्यायपालिका पर भार है। हालांकि हमने शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है जिससे अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान में वृद्धि होगी, इसी समय यह जरूरी है कि न्यायिक अधिकारी, जो कि मेहनती हैं, और भी कुशल हों। यह अनिवार्य है कि वे कानून की जानकारी और नवीनतम घोषणाओं के साथ अद्यतित रहें, और इसी कारण से शेट्टी आयोग ने एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की सिफारिश की है, जो कि बहुत जरूरी है। इसी समय, हम इस राय में हैं कि अधिकृत जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए कुछ न्यूनतम मानक, वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित, होना चाहिए। हालांकि हम शेट्टी आयोग के साथ सहमत हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश कादर में वकीलों के बीच से भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, लिखित और मुखिक दोनों द्वारा होनी चाहिए, हम इस राय में हैं कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति के लिए उच्च न्यायिक सेवा में उपयुक्तता का वस्तुनिष्ठ तरीका

होना चाहिए। इसके अलावा, तुलनात्मक रूप से जूनियर और अन्य अधिकारियों के बीच में सुधारने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहन भी होना चाहिए ताकि वे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता और भी बेहतर होगी। इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति और 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती से उच्च न्यायिक सेवा में बनाए जाने वाले अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हम हालांकि इस राय में हैं कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दो तरीके होने चाहिए: उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का 50 प्रतिशत गुणवत्ता-कुम-वरिष्ठता के सिद्धांत पर पदोन्नति के आधार पर भरा जाना चाहिए।इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालयों को उन प्रत्याशियों के कानूनी ज्ञान को जांचने और परीक्षित करने के लिए और उनकी निरंतर कुशलता और मामला-कानून की पर्याप्त जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षा तैयार और विकसित करनी चाहिए। सेवा में पदों का शेष 25 प्रतिशत योग्यता के रूप में एक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जिसके लिए सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से केवल गुणवत्ता पर आधारित पदोन्नति से भरा जाएगा। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम तैयार करना होगा।“

5. इसकी जांच से पता चलता है कि इस अदालत ने निरीक्षण किया कि तुलनात्मक रूप से जूनियर और अन्य अधिकारियों के बीच में सुधारने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहन भी होना चाहिए ताकि वे श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस अदालत का मानना था कि इस तरह से, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता और भी बेहतर होगी। इसलिए, इस अदालत ने निरीक्षण किया कि जब 75% पदोन्नति द्वारा नियुक्ति और 25% प्रत्यक्ष भर्ती से उच्च न्यायिक सेवा में अनुपात को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दो तरीके होने चाहिए। उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का 50% गुणवत्ता-कुम-वरिष्ठता के सिद्धांत पर पदोन्नति के आधार पर भरा जाना चाहिए और सेवा में पदों का शेष 25% एलडीसीई के माध्यम से केवल गुणवत्ता पर आधारित पदोन्नति से भरा जाना चाहिए जिसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में योग्यता सेवा कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। इस अदालत ने, इस प्रकार, निम्नलिखित निर्देशित -निर्देश जारी किए:

“28. उपरोक्त का परिणाम यह है कि पुनः उल्लेख करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती अर्थात जिला न्यायाधीश के पद कुछ इस प्रकार होगा:

(1)(a) 50 प्रतिशत पदों की भर्ती सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के बीच से गुणवत्ता-कुम-वरिष्ठता के सिद्धांत पर और एक योग्यता परीक्षा पास करके होगी;

(b) 25 प्रतिशत पदों की भर्ती केवल गुणवत्ता पर आधारित होगी सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से, जिनकी योग्यता सेवा कम से कम पाँच वर्ष हो; और

(c) पदों का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाएगा योग्य वकीलों के बीच से, जो प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा।

(2) उच्च न्यायालय जल्द से जल्द उपरोक्त अनुसार उपयुक्त नियम तैयार करेंगे।"

6. इस अदालत के निर्देशित -निर्देशों का पालन करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त नियमों के नियम 7 को संशोधित किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2008 दिनांक 22 अक्टूबर 2008 के रूप में पढ़ा जाता है:

"7. नियमित भर्ती.- (1) प्रवेश स्तर पर जिला न्यायाधीश की पद की भर्ती निम्नलिखित प्रकार होगी:-"

a) 50 प्रतिशत पदों की भर्ती सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के बीच से होगी, जिनकी कम से कम दस वर्ष की सेवा दिल्ली न्यायिक सेवा में हो, गुणवत्ता-कुम-वरिष्ठता के सिद्धांत पर और एक योग्यता परीक्षा पास करके;
b) 25 प्रतिशत पदों की भर्ती केवल गुणवत्ता पर आधारित होगी, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से, जिनकी योग्यता सेवा कम से कम पाँच वर्ष हो; और
c) पदों का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाएगा, जो नियम 7C के अनुसार पात्र हैं, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर।

(2) पहली और दूसरी पोस्ट श्रेणी (a) (वरिष्ठता-कुम-योग्यता के आधार पर पदोन्नति) को जाएगी, तीसरी पोस्ट श्रेणी (c) (बार से प्रत्यक्ष भर्ती) को जाएगी, और चौथी पोस्ट श्रेणी (b) (सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा) को जाएगी, इस नियम के तहत, और इसी तरह से।

7A. .....

7B. सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति के लिए चयन:- उच्च न्यायालय दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य की पदोन्नति के लिए एक सीमित लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करेगा, नियम 7 की उप-नियम (1) के उपांश (b) के अनुसार, निम्नलिखित तरीके से:-

(i) लिखित परीक्षा - 600 अंक
(ii) रिकॉर्ड का मूल्यांकन - 150 अंक
(iii) मौखिक परीक्षा - 250 अंक

प्रदत्त कि उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के अलावा, नियम 7A में प्रदत्त सामग्रियों में से किसी को भी ध्यान में ले सकता है। इस पर और प्रदान किया गया है कि किसी भी अधिकारी को जिसमें किसी भी वर्ष में 'C' (ईमानदारी पर संदेह) ग्रेडिंग हो, वह सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में प्रकट होने के लिए पात्र नहीं होगा।

7C. ....."

7. बीच में, एलडीसीई के माध्यम से योग्यता पर आधारित पदोन्नति द्वारा 25% कोटे के तहत डीएचजेएस में पदों के लिए भर्ती संबंधित पात्रता की मांग पर चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण कोर्ट के 5 सितंबर 2008 की बैठक में हुई। उस बैठक में यह माना गया कि एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बनने के लिए पात्र नहीं है जब तक वह 5 वर्ष की पात्रता सेवा पूरी नहीं करता। आगे चर्चा की गई थी कि उक्त नियमों के तहत, एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को एलडीसीई के माध्यम से 25% कोटे के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की पात्रता सेवा होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का पूरा न्यायालय इस विचार में था कि यदि एलडीसीई के कोटे को योग्य अधिकारियों के लिए एक प्रभावी पदोन्नति की योजना बनाना है, तो यह उचित है कि 10 साल की पात्रता आवश्यकता को 7 साल में घटाया जाए [(5 साल सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और 2 साल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के तहत 25% कोटे में]। दिल्ली उच्च न्यायालय का विचार था कि यह भारतीय संविधान की धारा 233 (2) और बार से प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पात्रता शर्तों के साथ भी मेल खाएगा। इस पृष्ठभूमि में, अंतरिम आवेदन (आई.ए) नं. 249 का 2009 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

8. वर्तमान रिट याचिका में विभिन्न I.As. प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से कुछ अंतरिम आवेदन (आई.ए). को इस न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल 2010 की तारीख के आदेश द्वारा

निर्णयित किया गया था। उक्त आदेश के निम्नलिखित पैराग्राफ को संदर्भित करना उपयुक्त होगा:

"**5**. कुछ राज्यों में इस विशेष श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नत होने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सामान्य रूप से 5वर्षों की अवधि के पूरा होने से पहले ही पदोन्नति प्राप्त कर लेता है। चूंकि 25% कोटा निर्धारित है, बड़ी संख्या में रिक्तियाँ अधीनस्थ रह जाती हैं और वह उस राज्य में न्यायिक प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है।

6. विभिन्न उपलब्ध रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर हैं कि इस 25% कोटे के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए जो सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा का है। हम यह भी मानते हैं कि पिछले अनुभव के साथ, यह इच्छाशक्ति है कि 25% कोटा को 10% तक घटाया जाए। हम ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

7. इस प्रकार, हम निर्देशित करते हैं कि अब से केवल जिला न्यायाधीशों की कैडर की 10% शक्ति को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से भरा जाए, जिसमें उम्मीदवार हैं जिन्होंने पाँच वर्षों की योग्य सेवा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में प्राप्त की है। प्रतिवर्ष रिक्तियों को पहचाना जाना चाहिए और चयन की प्रक्रिया का ध्यान उच्च न्यायालयों द्वारा रखा जाएगा। अगर कोई पद 10% कोटा के तहत नहीं भरा जाता है, तो वह नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। कुछ उच्च न्यायालयों में, इन 25% कोटा के चयन की प्रक्रिया सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करके चल रही है, ऐसी प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है और अधीनस्थ सीटें, यदि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं, भरी जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी कारण सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो वे नियमित पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं और सामान्य पदोन्नति प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम निम्नलिखित आदेश पास करते हैं।

8. इसके बाद, बार से सीधी भर्ती के लिए 25% सीटें होंगी, 65% सीटें सिविल जज (वरिष्ठ शाखा) की नियमित प्रोत्साहन से भरी जानी हैं और 10% सीटें सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा भरी जानी हैं। अगर 10% सीटों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, या परीक्षा में योग्य नहीं हो पाते हैं तो खाली पद नियमित प्रोत्साहन के अनुसार सेवा नियमों के अनुसार भरे जाएंगे।

9. सभी उच्च न्यायालयों को निर्देशित यहाँ किया जाता है कि उन्हें देखना होगा कि मौजूदा सेवा नियम 1.1.2011 से सकारात्मक रूप से संशोधित किए जाएं। अगर नियम उचित रूप से संशोधित नहीं किए जाते हैं, तो यह आदेश प्रभावी होगा और 1.1.2011 से आगे की भर्ती हमारे द्वारा निर्देशित जारी रहेगी। 4.1.2007 के आदेश में निर्धारित समय सारणी (मलिक मजहर सुलतान मामले में *[मलिक मजहर सुलतान (3) बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग, (2007)* 17एससीसी 703 : (2010) 1 एससीसी (एल&एस) 942]) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सभी रिक्तियाँ उस विशेष वर्ष में ही भरी जाएंगी और किसी भी अधूरे पद का अगले वर्ष में आगे बढ़ाया नहीं जाएगा।

9. इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस अदालत ने पाया कि उस 25% पदों के लिए एलडीसीई के उम्मीदवार ढूंढना कठिन था जो कहीं भी उस श्रेणी के लिए आरक्षित थे और कई उच्च न्यायालयों में, उस तरह के पद अधूरे रह गए थे। इसलिए, इस अदालत ने कहा 25% कोटा को 10% तक घटा दिया।

10. दिल्ली की उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल की गई अंतरिम आवेदन (आई.ए) संख्या249 / 2009में अधिक से अधिक दशक का समय बीत चुका है। इस दौरान, दो न्यायिक अधिकारी-आवेदकों ने उपरोक्त I.As. दाखिल किया है। पहला इस अदालत के 21मार्च 2002और 20अप्रैल 2010के आदेशों का संशोधन करने के लिए है।

11. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय में, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा की जाने वाली कार्य की प्रकृति समान है। यह एक विशेष परिस्थिति है जो दिल्ली के उच्च न्यायालय में प्रचलित है जहां वेतनमान में अंतर के अलावा, उक्त जजों द्वारा अभ्यासित की जाने वाली शक्तियों और निभाई जाने वाली कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का अनुपात 80 : 20है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने पहले ही एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव (एलजे और एलए) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कोटे को 20% से 25% तक बढ़ाने के लिए संपर्क किया है, अर्थात् 16 सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) से बढ़ाकर 121सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की कुल शक्ति 482 के अंतर्गत।

12. उस दो न्यायिक अधिकारी-आवेदकों की शिकायत है कि इस विशेष स्थिति के कारण, एलडीसीई के 10% कोटा के लिए, योग्यता के माध्यम से पदोन्नति के लिए कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। उनकी आगे की शिकायत है कि सामान्य प्रवृत्ति में, एक व्यक्ति को डीएचजेएस में भी 10साल में पदोन्नति मिल सकती है। इस आधार पर, न्यायिक अधिकारी-आवेदक इस अदालत द्वारा वर्तमान याचिका में 21मार्च 2002और 20अप्रैल 2010को पास किए गए आदेशों

का संशोधन करने की प्रार्थना करते हैं ताकि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की रूप में 5साल की योग्यता सेवा की आवश्यकता को दूर किया जा सके और उसे सिविल जज के रूप में 10साल की कुल योग्यता सेवा की आवश्यकता के साथ संशोधित किया जा सके।

13. इस स्थिति को दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा विवादित नहीं किया गया है। उल्टा, यह दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रार्थना है कि आदेश संशोधित किया जाए और 10वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा की आवश्यकता को 7वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा में घटाया जाए [(5वर्ष सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और 2 वर्ष सिविल जज (सीनियर डिवीजन) 25% कोटा के तहत]।

14. एलडीसीई के माध्यम से पदोन्नति के लिए एक मार्ग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य था कि अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारियों में अधिकारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए ताकि वे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करें, उत्कृष्टता प्राप्त करें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त करें। दिल्ली के उच्च न्यायालय में प्रचलित विशेष स्थिति में, इस मुख्य उद्देश्य को नकारा जाता है। हम, इसलिए, विचार की जा रही धारा में हैं कि विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, दोनों अंतरिम आवेदन (आई.ए). नं/ 249 / 2009और आई.ए. नं.89454 /2021 को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

15. श्री राव, दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायसंगत रूप से कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयं ही वर्तमान न्यायिक अधिकारी-आवेदकों के लिए दो सीटें आरक्षित की हैं ताकि उनके दावों को समय के बीत जाने या परीक्षा में विलंब होने के कारण परास्त न किया जा सके।

16. श्री राव द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अंतरिम आवेदन (आई.ए)89450 और 88976 / 2021, आई.ए. सं. 249/ 2009, आई.ए. सं. 44132 /2022 में आई.ए. सं. 89450 /2021 के अंतर्गत रिट याचिका (सी) सं. 1022 /1989. में किसी आदेश की जरूरत नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, न्यायिक अधिकारी-आवेदकों द्वारा दायर अंतरिम आवेदन (आई.ए) 89454/ 2021 और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दायर आई.ए. सं. 249 / 2009 को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है:

(i) 21मार्च 2002 को इस न्यायालय द्वारा पास किए गए आदेश की पैराग्राफ 27 (1) (b) को संशोधित किया जाता है और निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:

"25% पदोन्नति द्वारा, जो की योग्यता सेवा के 7वर्ष वाले सिविल जजों के माध्यम से एलडीसीई के आधार पर पूरी तरह से योग्यता पर हो, [(5वर्ष सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और २ वर्ष सिविल जज (सीनियर डिवीजन) या 10वर्ष योग्यता सेवा के रूप में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)]."

(ii). इसी तरह, 20 अप्रैल 2010 को इस न्यायालय द्वारा पास किए गए आदेश में, पैराग्राफ (7) में निर्देशित, अर्थात, *"इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि अब से केवल 10% जिला न्यायाधीशों की काडर शक्ति को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से भरा जाए, जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्ष की योग्यता सेवा के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को पारित किया है"*, को संशोधित किया जाता है और निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:

"इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि अब से केवल 10% जिला न्यायाधीशों की काडर शक्ति को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से भरा जाए, जिन उम्मीदवारों ने 7वर्ष की योग्यता सेवा [(5वर्ष सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और 2 वर्ष सिविल जज (सीनियर डिवीजन) या 10वर्ष योग्यता सेवा के रूप में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)] पारित की है।"

18. यह कहना अनावश्यक है कि चूंकि उपरोक्त संशोधन डीएचजेएस से संबंधित विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि केवल डीएचजेएस के संदर्भ में ही उक्त संशोधन लागू होगा।

देविका गुजराल अंतरिम आवेदन स्वीकृत की जाती है।
(शेवाली मोंगा, LCRA द्वारा सहायता प्रदान की गई)।

1 (2002) 4 SCC 247
2 (2010) 15 SCC 170

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित